कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1973 / 12–1 मसूरी, दिनांक, 04–12–2017।

सेवा में,

Vindhya Telelinks Limited,
EPC Division, Plot No.- E- 237, Tower Greens, 3 rd Floor
Phase –VII B, Industrial Area,
Mohali(Panjab) 160055

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :–आपका पत्र, दिनांक रिक्त।

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जो इस कार्यालय को दिनांक 17–10–2017 को प्राप्त हुआ। आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव की जॉच /परीक्षण की गयी। परीक्षोपरान्त प्रस्ताव में निम्नानुसार वांछित कमियॉ पायी गयी। जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव की पॉच प्रतियां (मूल में) इस आशय से वापस की जा रही है कि आनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में कतिपय कमियों के निराकरण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को वन विभाग एंव राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों की टिप्पणी /आख्या के बिना आनलाईन अपलोड किया गया है। अपूर्ण आनलाईन प्रस्ताव को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है।

2– आनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में जॉच करने पर पाया कि आपके पक्ष में विषयांकित कार्य स्थल की स्वीकृति जो राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त हो, सम्बन्धी दस्तावेज एंव लो0नि0वि0 का आनापत्ति प्रमाण–पत्र चस्पा नहीं है। कृपया प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु राज्य सरकार के स्तर निर्गत स्वीकृति एंव सम्बन्धित / लो0नि0वि0 का आनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में चस्पा करते हुए आनलाईन अपलोड किया जाय।

3– आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के B-2 - Details of forest land proposed to be diverted B-2.1, B-2.2, B-2.3 ,ao B-2.4 (Details of Div. Involved, Component wise break up & villagewise breakup) esa Non forest land को 0 अंकित किया गया है। जबकि उक्त स्थान पर प्रस्तावित परियोजना हेतु वांछित प्राईवेट लैण्ड का क्षेत्रफल दर्ज किया जाना चाहिए था।

4– आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के A-3(xvii) Copy of document in support of competence /authority of the person making this application to make application on behalf of the User agency में प्रयोक्ता विभाग द्वारा letter अपलोड किया गया है। उक्त स्थान पर प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु authority of the person सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना था।

5– वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय एंव जिला स्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र बिना कार्यवाही के अपलोड किये गये है। कृपया सम्बन्धित अधिकारियों से परिपूर्ण अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को आनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा किया जाय।

6– परियोजना हेतु वांछित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव में चस्पा ग्राम सभा के अनापत्ति प्रमाण–पत्र में मात्र चार ग्राम पंचायतों के प्रधानों की सामूहिक हस्ताक्षर कराये गये है। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की अनापत्ति आख्या नहीं है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र में ग्राम प्रधानों की अनापत्ति आख्या चस्पा की जाय।

संलग्न :– उक्तानुसार।(प्रस्ताव की पॉच (05) प्रति)।

(कहकशॉ नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1973 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी,टिहरी गढ़वाल को उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशॉ नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।